203

संख्या- /XXVIII-3-2012-70/2011

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

औषधि नियंत्रक,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून : दिनांक 20 जून, 2012

विषय:- **राज्य स्थित औषधि/कास्मेटिक निर्माण इकाईयों में कार्यरत निर्माण/विश्लेषण वेत्ताओं के कम्पीटेन्सी मूल्यांकन विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17प/8/90/2001/11499, दिनांक 18.04.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 (23 of 1940) सपठित औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन रूल्स, 1945 की संगत धाराओं में औषधि/कास्मेटिक निर्माण इकाईयों में कार्यरत निर्माण/विश्लेषण वेत्ताओं की कम्पीटेन्सी का प्राविधान निहित है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित औषधि निर्माता (लाइसेन्सी), औषधि/कास्मेटिक निर्माण इकाईयों में कार्यरत निर्माण/विश्लेषण वेत्ताओं की शैक्षिक अर्हता के आधार पर कम्पीटेन्सी सुनिश्चित करेंगे। औषधि निरीक्षक समय-समय पर निरीक्षण कर मूल्यांकन करेंगे एवं उक्त प्राविधान के विपरीत वांछित शैक्षिक अर्हता अप्राप्त, गैर-कम्पीटेन्ट स्टॉफ पाये जाने की स्थिति में संगत् नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये तद्नुसार शासन को भी अवगत करायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में प्रचलित कम्पीटेन्सी मूल्यांकन हेतु साक्षात्कार की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या- 493 /XXVIII-3-2012-70/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।
5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

F:\sarita SARITA\2012\approved draft.doc